२५२७०५.....अधिकारी........
.....बनाम.....रुबीना.....

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2025/642

मिसल नम्बर– 92 / 2025

रशीदा बेगम पत्नी जहूर अहमद आयु 60 वर्ष निवासी मकान संख्या 168 शबाना मंजिल करबला लाडपुरा जिला कोटा

प्रार्थी।

बनाम

रूबीना पत्नी रिजवान अहमद पुत्री शहजाद भाई आयु 38 वर्ष निवासी 168 शबाना मंजिल करबला लाडपुरा जिला कोटा

अप्रार्थीगण।

–:निर्णयः–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 30/03/2026

उपस्थितिः–

1.श्री देवेन्द्र मीणा प्रार्थीया अधिवक्ता।

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया के पति जहूर अहमद का इंतकाल कोरोना में सन 2020 में हो चुका है, प्रार्थीया के पति से प्रार्थीया के 5 संताने क्रमशः रईस आयु 46 वर्ष, रिजवान आयु 43 वर्ष, रेहान आयु 35 वर्ष, नर्गिस आयु 34 वर्ष व जीशान आयु 32 वर्ष है। प्रार्थीया की सभी संतानों का निकाह प्रार्थीया के पति के जीवनकाल में ही हो चुका है। प्रार्थीया की पुत्री नर्गिस अपने ससुराल में निवास कर रही है तथा प्रार्थीया की शेष चारों संताने अपनी अपनी पत्नी व बच्चों के साथ प्रार्थीया के मकान में ही निवासरत है। उक्त मकान प्रार्थीया के शोहर जहूर अहमद ने फरवरी 2000 में क्रय किया था तब से प्रार्थीया उस मकान में आज दिनांक तक निवासरत है। अप्रार्थीया, प्रार्थीया के दुसरे पत्र रिजवान की पत्नी है जो कि अपनी चारों संतानों सहित अपने पति के साथ प्रार्थीया के मकान में ही निवास करती है। अप्रार्थीया का व्यवहार प्रार्थीया के प्रति अत्यंत क्रूरतापूर्ण व अपमानजनक है। वह कई बार प्रार्थीया के साथ गाली गलौच व मारपीट भी कर चुकी है। इतना ही नहीं अप्रार्थीया का अपनी चारों संतानों के प्रति भी व्यवहार अतिक्रूरतापूर्ण रहता है, इसके कारण अप्रार्थीया की चारों संताने भयग्रस्त

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

होकर प्रार्थीया के पास आकर निवास करने लगती है तथा प्रार्थीया द्वारा ही अप्रार्थीया की चारों संतानों की भी देख–रेख की जाती है, यह सबकुछ देखकर अप्रार्थीया कई बार चप्पल लेकर तो कई बार झाड़ू लेकर प्रार्थीया के साथ मारपीट कर चुकी है और रूपयों की मांग करते हुये यह धमकी देती है कि मुझे रोज रूपये चाहिये वरना तुझे व तेरे खानदान की वो हालत करूंगी कि तुम्हारी रूहें कांप जायेगी और यह कहते हुये प्रार्थीया के पास रखे हुये रूपये कभी 500 तो कभी 1000 रूपये जबरदस्ती एवं धमकी देकर छीन कर ले जाती है और कहती है कि यदि तुझे मुझसे छुटकारा चाहिये तो यह मकान मेरे नाम कर दे, नहीं तो मैं तुम लोगों को चैन से नहीं जीने दूंगी और तेरे बच्चों को भी झूठे केस में फंसा कर जेल में सडा दूंगी। इसी क्रम में आज से लगभग एक माह पूर्व अप्रार्थीया, प्रार्थीया के साथ लडाई झगड़ा करके प्रार्थीया व उसके परिवारजनों के विरूद्ध महिला थाने में झूठी शिकायत दर्ज कराने जा चुकी है, जहां पर अप्रार्थीया के बच्चों से भी पूछने पर अप्रार्थीया के तीन बच्चों अरमान, फातिमा व अनस ने कहा कि हमें अम्मी/अप्रार्थीया के साथ नहीं रहना है हम अब्बू या दादी के साथ रहना चाहते है। अम्मी हमारा ख्याल नहीं रखती और हमें अब्बू को भी मारती है। कई बार अब्बू की गर्दन भी नोंच चुकी है और दादी को भी मारती है। 15 दिन पूर्व भी अप्रार्थीया द्वारा प्रार्थीया से उक्त मकान अपने नाम कराने का दबाव बनाकर मारपीट की गई, । प्रार्थीया द्वारा असमर्थता व्यक्त करने पर डण्डा लेकर प्रार्थीया के पीछे यह कहते हुये मारने दौडी, कि बूड़िया आज तेरा काम तमाम ही कर देती हूं, प्रार्थीया ने बड़ी मुश्किल से पडौस के मकान में घुसकर स्वयं की जान बचायी। प्रार्थीया उक्त घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस थाना रामपुरा कोतवाली गयी, उसके पश्चात प्रार्थीया दिनांक 15.09.2025 को पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रेषित किया था, किन्तु आज दिनांक तक कोई कार्यवाही न होने के कारण प्रार्थीया को व्यथित होकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश होना पड रहा है। अप्रार्थीया के उक्त व्यवहार से प्रार्थीया अंत्यन्त तनाव ग्रस्त व दुखी जीवन व्यतीत कर रही है। अतः श्रीमान जी की सेवा में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि माननीय न्यायालय अप्रार्थीया को इस बाबत पाबंद करे कि अप्रार्थीया, प्रार्थीया के भरण पोषण, देखभाल व ईलाज की समुचित व्यवस्था एवं प्रबंध करें, प्रार्थीया के साथ अच्छा व्यवहार करें और प्रार्थीया के आवासीय परिसर को खाली कर स्वयं के निवास स्थल पर व्यवस्था करें, प्रार्थीया के साथ ऐसा कोई कृत्य या दुर्व्यवहार न करें जिससे

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

(नियम 26) कोटा

अधिकारी............मुकाम..............................

..........बनाम..........शबीना..............................

92 ....सन् 2026..........

प्रार्थीया के जीवन की सुख शांति भंग हो और प्रार्थीया को किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक आघात पहुंचे, प्रार्थीया को शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करने देवें, उसके साथ किसी भी प्रकार से मारपीट या अभ्रद व्यवहार न करें। प्रार्थीया को उसकी संपत्ति बेचान, अथवा नामान्तरण के लिये विवश न करें।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीया की तलबी वास्ते नोटिस प्रेषित किये गये। अप्रार्थीया बावजूद सूचना अनुपस्थिति होने के कारण अप्रार्थीया के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात पत्रावली बहस अंतिम वास्ते नियत की गई।

दौराने बहस प्रार्थीया अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया। प्रार्थीया की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेज पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रेषित परिवाद प्रति, वसीयतनामा प्रति पेश की है।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थीया की ओर से कथन किया गया है कि अप्रार्थीया द्वारा प्रार्थीया से उक्त मकान अपने नाम कराने का दबाव बनाकर मारपीट की गई। प्रार्थीया द्वारा असमर्थता व्यक्त करने पर डण्डा लेकर प्रार्थीया के पीछे यह कहते हुये मारने दौडी, कि बूढ़िया आज तेरा काम तमाम ही कर देती हूं, प्रार्थीया ने बड़ी मुश्किल से पडौस के मकान में घुसकर स्वयं की जान बचायी। प्रार्थीया उक्त घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस थाना रामपुरा कोतवाली गयी, उसके पश्चात प्रार्थीया दिनांक 15.09.2025 को पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रेषित किया।

प्रार्थीया की ओर से यह कथन किया है कि उक्त घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने प्रार्थीया पुलिस थाना रामपुरा कोतवाली गयी परन्तु प्रार्थीया की ओर से पुलिस थाना में दी गई रिपोर्ट की प्रति एवं पुलिस थाना द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पेश नही किया है। केवल मात्र पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रेषित परिवादी की प्रति पेश की है। अप्रार्थीया बावजूद सूचना उपस्थित नही हुयी है और ना ही प्रकरण में अप्रार्थीया द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थीया के कथनों का खण्डन किया गया है। चूंकि अप्रार्थीया की ओर से प्रार्थीया के कथनों का किसी प्रकार से कोई खण्डन नही किया है जिस कारण से प्रार्थीया के द्वारा किये गये कथन अखण्डनीय रहे है एवं जिन पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण उत्पन्न नही होता है। प्रार्थीया द्वारा अपनी वसीयत संलग्न की गई है। जिसमें सभी पुत्रो को अधिकार प्रदान किए गए है। उक्त वसीयत

उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रार्थीया की मृत्यु उपरांत अस्तित्व में आएगी। तब तक समस्त पुत्र प्रार्थीया की अनुमति से ही मकान में निवास कर रहे है। प्रार्थीया द्वारा ना तो अपने पुत्रों को पक्षकार बनाया गया है, ना ही उनसे किसी प्रकार की राहत चाही गई है। अप्रार्थीया के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीया का पक्ष रिकॉर्ड पर नही आ सका। उक्त परिस्थितियों में प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम आंशिक स्वीकार कर अप्रार्थीया को पाबंद किया जाता है कि अप्रार्थीया, प्रार्थीया के भरण पोषण, देखभाल व ईलाज की समुचित व्यवस्था एवं प्रबंध करें, प्रार्थीया के साथ अच्छा व्यवहार करें, प्रार्थीया के साथ ऐसा कोई कृत्य या दुर्व्यवहार न करें जिससे प्रार्थीया के जीवन की सुख शांति भंग हो और प्रार्थीया को किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक आघात पहुंचे, प्रार्थीया को शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करने देवें, उसके साथ किसी भी प्रकार से मारपीट या अभ्रद व्यवहार न करें। प्रार्थीया को उसकी संपत्ति बेचान, अथवा नामान्तरण के लिये विवश न करें।

उक्त निर्णय आज दिनांक 30/03/2026 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा